फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक – 16.11.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 341/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 341/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त नरेन्द्र शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी नानक निवास कालोनी थाना अवधपुरी जनपद भोपाल मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

01. नरेन्द्र शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी नानक निवास कालोनी थाना अवधपुरी जनपद भोपाल मध्य प्रदेश।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 25.10.2026 को वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर बावत अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 341/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम नरेद्रं शर्मा पुत्र राजेद्रं शर्मा पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अपहर्ता की सकुशल बरामदगी कर, बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल, बयान पीडिता एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग में नामित अभियुक्त नरेन्द्र शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी नानक निवास कालोनी थाना अवधपुरी जनपद भोपाल मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त नरेन्द्र शर्मा पुत्र ने पूछने पर अपने जुर्म से इकबाल करते हुए, अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त नरेन्द्र शर्मा उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0 341/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार
2. का0 राघवेन्द्र सिंह
3. म0का0 वर्षा

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 16.11.2026

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तो को 02 अवैध तमंचा315 बोर व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा दिनांक 15.11.2026 को गश्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग के दौरान दो व्यक्तियो के कब्जे से 02 अवैध तमंचा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0 229/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अनुराग सिंह उर्फ विजय पुत्र चन्द्र शेखर व रामदास पुत्र अजेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम महमुदपुर तराई थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यावाही की जा रही है।



बरामदगी का विवरण :-

01. दो अवैध तमंचा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त अनुराग सिंह उर्फ विजय उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 229/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल

2.मु0अ0स0 200/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/324(4) बीएनएस थाना मऊदरवाजा

3.मु0अ0सं0 190/2020 धारा 147/148/149/307/323/324/325/504 भादवि थाना मऊदरवाजा

अभियुक्त रामदास उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 229/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

दिनांक 16.11.2026

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा द्वारा 01अभियुक्त को चोरी की गयी मोटर साइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर थाना कादरीगेट पर मु0अ0सं0 276/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत कर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अभियुक्त आनन्द पुत्र बाबूराम निवासी भोपट्पट्टी थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़ को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



अभियुक्त आनन्द उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 276/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़

बरामदगी का विवरण-

01. 01 सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल

मीडिया सेल फतेहगढ़।